R.M.M. Law College, Saharsa
Lecturer - Nareshji Anand
L.L.B. Part - II nd
Paper - VI th.
Environmental Law

वन संरक्षण अधिनियम - 1980

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ - (1) अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम - 1980 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार जम्मू और काश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।
(3) यह 25 अक्तूबर 1980 के पच्चीसवें दिन प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।
2. वनों के वन आरक्षण पर या और वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध' -
राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी अन्य चीज के प्रतिविरुद्ध होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय यह निर्देशित करते हुए आदेश नहीं दे सकेगी -
(i) कि कोई आरक्षित वन और उसका कोई भाग आरक्षित होना समाप्त हो जाएगा।
(ii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा।
(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टा या

Scanned with CamScanner

अन्यथा के रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी अन्य प्राधिकारी, सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन न रहने वाले किसी निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को समनुदेशित किया जाएगा (ग) कि कोई वन भूमि या उसके किसी भाग में पेड़ों को जो उस भूमि या उसके भाग में प्राकृतिक रूप से उपजा है, पुन: वनरोपण के लिए इसके प्रयोग के प्रयोजन के लिए उन्मूलित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या उसके भाग के उन्मूलन या सफाई से - परन्तु वन और जंगली जीव से सम्बन्धित किसी कार्य या अनुषंगिक संरक्षण, विकास और प्रबन्ध, यथा चौकी की स्थापना, अग्निरेखा, बेतार संचार और बाड़ का सन्निर्माण, पुलों और पुलिया, बाँधों, गड्ढों खाई चिन्ह, सीमा रेखा, जल रेखा या अन्य समान प्रयोजनों को शामिल नहीं करेगा।

3. सलाहकार समिति का गठन-

केन्द्रीय सरकार ऐसी संख्या के व्यक्तियों को शामिल करते हुए समिति का गठन कर सकेगी जैसा कि वह उस सरकार को -

(i) धारा-2 के अधीन अनुमोदन की स्वीकृति, (ii) वनों के संरक्षण से सम्बन्धित किसी अन्य मामले जो उस केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए उचित समझे।

Scanned with CamScanner

(3)

(4क) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति – जो कोई धारा-2 के प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता है, साधारण कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो पन्द्रह दिनों तक की हो सकेगी, दण्डित किया जा सकेगा।

(4ख) प्राधिकारियों और सरकारी विभागों द्वारा अपराध – (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है –
(क) सरकार के किसी विभाग, विभागाध्यक्ष द्वारा या
(ख) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किये जाने के समय प्राधिकारी के कारोबार के संचालन के लिए प्रभार में तथा प्राधिकारी के प्रति दायी था, अपराध का अपराधी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए तथा सजा प्राप्त करने के लिए दायी होगा –
परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात विभागाध्यक्ष या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किसी सजा के लिए दायी नहीं बना देगा, यदि यह साबित होता है कि अपराध बिना उसके ज्ञान के कारित किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को कारित किये जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता का प्रयोग किया था।
उपधारा (1) में किसी बात की

अंतर्विष्ट होते हुए भी, अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध सरकार के विभाग या उपधारा (1) में के खण्ड (ख) निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है या प्राधिकारी, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के मामले में ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उस अपराध का अपराधी होना माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा।

(5) नियम बनाने की शक्ति - (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियमों को बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गए सभी नियम बनाये जाने के पश्चात यथा साध्य शीघ्र, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिनों की पूर्ण अवधि के लिए रखे जाएँगे जो एक अधिवेशन या दो से अधिक उत्तरवर्ती अधिवेशनों में शामिल होगा और पूर्वोक्त अधिवेशन या अधिवेशनों को तत्काल अनुसरण करने वाले अधिवेशन के अवसान के पहले, दोनों सदन नियम में किसी उपान्तरण को करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, इसके पश्चात नियम का प्रवर्तन ऐसे उपान्तरित रूप में होगा या नहीं होगा, जैसा कि मामला है, जबकि कोई ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम

के अधीन बने नियमों में किये गये किसी चीज की वैधता पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

८. निरसन और व्यावृत्ति – (1) वन (संरक्षण) अध्यादेश 1780 (1780 का 14) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, कथित अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई मानी जाएगी।

Scanned with CamScanner